

अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित स्पेशल लेख एक्वाजिशन आफिसर्स को उक्त ऐक्ट के अधीन कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग के सामने उल्लिखित जिले में प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं जब तक कि वे स्पेशल लेड एक्वाजिशन आफिसर के पद पर नियुक्त रहें :-

क्रम-सं०	अधिकारी का नाम	जिला
१	श्री अम्बा प्रसाद	बनारस
२	" त्रिविक सिन्हा	फैजाबाद
३	" फयाज हुसैन	शासी
४	" दीनानाथ जर्मा	गोरखपुर

२४ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ५६२१/१-अ-२०६-५५-सं० ए। सी जिन एक्ट, १८९४ (ऐक्ट संख्या १, १८९४) की धारा ३ के अन्तर्गत (सो) द्वारा प्रस्तुत अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय श्री कृष्णा सागर त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर, बस्ती को उक्त ऐक्ट के अधीन जिला बस्ती में कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं।

विविध

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३२०८/१४-उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का यह मत है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० धारा २६ की उपधारा (१) के अधीन अवैधित जांच करने और अभिलेख संवार करने में इतना अधिक समय लगता कि उस सरकार के अधिकारों के धारित होने की आशंका है।

अतएव अब वह उपर्युक्त उपधारा के प्रतिवन्धात्मक खंड द्वारा तथा उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित उक्त उपधारा (१) द्वारा प्रस्तुत अधिकारों का प्रयोग करने ऐसी जांच होने और अभिलेख संवार होने तक उक्त ऐक्ट के चैप्टर ४ के निवेश एक अनुसूची में निदिष्ट भूमि पर लागू प्रस्थापित करते हैं।

अनुसूची

क्रम-संख्या	स्थिति का नाम जो भारतीय वन ऐक्ट परिच्छेद ४ के अन्तर्गत रक्षित वन घोषित की गई है	जिला	सड़क की लम्बाई मीलों में	सीमा का
१	ग्रैंड ट्रंक रोड, मील ५६२/० से लेकर मील ६६३/० तक	कानपुर	मी० ७ ० ०	जमीन की हारा या सीपेट के लाइथों द्वारा पर की गई
२	कानपुर-कालपी सड़क, मील ५२/० से लेकर मील ६६/० तक	"	४४ ० ०	"
३	कानपुर-हमीरपुर सड़क, मील १/० से लेकर मील ११/० तक	"	३७ ० ०	"
४	फोर्डमगल रोड, मील ११६/० से लेकर मील १७३/० तक	"	५४ ० ०	"
५	लखनऊ-कानपुर सड़क, मील ० से लेकर मील ४६/३-६४० फीट तक	लखनऊ और उन्नाव	४६ ३ ६४०	"
६	लखनऊ-बरेली सड़क मील ० से लेकर मील १५२/० तक	लखनऊ, सीतापुर, झांसी, अहापुर, बरेली	१५२ ० ०	"
७	लखनऊ-प्रतापगढ़ सड़क, मील ० से लेकर १०८/० तक	लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़	१०८ ० ०	"
८	लखनऊ-मुल्तानपुर सड़क, मील ० से लेकर मील ८५/१-२२८ फीट तक	लखनऊ, रायबरेली, माराबंकी और मुल्तानपुर	८५ १ २२८	"
९	लखनऊ-फैजाबाद सड़क, मील ० से लेकर मील ७६/३-३६६ फी० तक	लखनऊ, माराबंकी और फैजाबाद	७६ ३ ३६६	"

वन विभाग

छुट्टी

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३९२०/१४-६०(१)-५५-श्री आर० एन० पी० एफ० एल०, डिप्टी कन्सर्वेटर आफ फारेस्ट्स को २३ अगस्त, १९५५ ई० से ३१ बिन की उदात्त छुट्टी दी जाती है। उन्हें २३ से २६ अक्टूबर, १९५५ ई० रविवार तथा अन्य छुट्टियाँ उस छुट्टी के साथ सम्मिलित करने की आज्ञा दी जाती है।

नियुक्ति

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३९२०(२)/१४-६०(१)-५५-कार्यभार पूर्ण की तारीख से श्री श्रीमत्या, पी० एफ० एल०, प्रसिस्टेड वेटर आफ फारेस्ट्स को श्री आर० एन० गैरोला, पी० एफ० के स्थान पर, जिनकी छुट्टी बी गई है, स्थानापन्न डिप्टी आफ फारेस्ट्स, कालागढ़ फारेस्ट डिवीजन नियुक्त किया जा